न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– श्री मांगीलाल रेगर , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–149 / 2016

दिनांक 07–12–2017

उनवान

1. पप्पुलाल मुतबन्ना हरचंद जाट वयस्क निवासी रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर

.....वादी

।। बनाम ।।

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ,भदेसर जिला चित्तौडगढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये कलेक्टर महोदय, जिला चित्तौडगढ

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89,188, रा0 का0 अधि0 1955

उपस्थित–श्री प्रवीण जोशी वकील वादी

नायब तहसीलदार भादसोडा

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188, की धारा के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया –

1. यह कि वादी के खातेदारी की मौजा रेवलिया खुर्द पटवार हल्का रेवलिया खुर्द भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बानसेन, तहसील भदेसर की साबिक खाता संख्या 175, आराजी नम्बर 868 / 10 रकबा 05 बीघा एंव नवीन सेटलमेंन्ट जमाबदी अनुसार खाता संख्या 173 में अंकित खसरा संख्या 1159 रकबा 0.33 हैक्टर दर्ज रेकार्ड है।

2. यह कि मौजा रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर का वर्ष 2010–11 में भू प्रबंध अधिकारियों के द्वारा भू प्रंबंध किया गया। भु प्रबंध के दरम्यिान वादी कि खातेदारी में दर्ज साबिक आराजी 868 / 10 रकबा 5 बीघा के नवीन आराजी नम्बर 1159 रकबा 0.33 हैक्टेयर कायम किया गया जबकि वादी के 1.08 हेक्टेयर भूमि दर्ज होनी चाहिये थी लेकिन भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा वादीके रकबे में 0.75 हैक्टररकबा कम करते हुए 0.33 हैक्टर ही दर्ज कर शेष 0.75 हैक्टर बिलानाम काबिल काश्त भूमि दर्ज कर दी जिससे वादी की ओर से वादपत्र घोषणात्मक डिक्री पेश हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:07:55 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि वादी के विवादित आराजीयात सेटलमेंट से पूर्व खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिस पर वादी काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा दौराने भू प्रबंध वादी की खातेदारी की आराजीयात के रकबे के 0.75 हैक्टर को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नही था फिर भी भू प्रबंध अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर वादी के

खातेदारी में दर्ज आराजीयात को नवीन नम्बर 1159 रकबा 0.33 हैक्टर दर्ज कर शेष 0.75 हैक्टैयर आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया जबकि वादी आज भी मौके पर 1.08 हैक्टैयर भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा जिससे वादी उक्त आराजीयात के 0.75 हक्टैयर कमी रकबे को अपनी खातेदारी में दर्ज करा उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती पेश है।

4. यह कि दौराने सेटलमेन्ट विवादित आराजीयात वादी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी मोके पर वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है फिर भी भू प्रबंध अधिकारियों ने मौके पर रकबे की कमी करते हुए बिलानाम काबिल काश्त दर्ज कर दी है जिसकी आड में प्रतिवादीगण वादी को विवादित आराजीयात से बेदखल करना चाहते है व विवादित आराजीयात को अन्य को आवंटन करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे ना ही जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल करे एंव ना ही किसी अन्य को उक्त भुमि आवटित करे इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किये जाने हेतु यह वाद पत्र पेश है।

5. यह कि प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधिगण है जिनके विरूद्व वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व धारा 80 जा.दी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रतिवादीगण ने वादी की खातेदारी की आराजीयात के 0.75 हैक्टर आराजीयात को बिलानाम कर बेदखल करने पर आमादा हो रहे है एंव किसी अन्य को आवंटित नही कर दे ऐसी स्थिति में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का हो जाने से वाद पत्र बिना नोटिस सर्व किये ही पेश किया जा रहा है जिसके लिए धारा 80 (2) जा.दी का आवेदन मय शपथ पत्र के अलग से पेश है।

6. यह कि बिनाय मुखास्मत वादपत्र दिनांक 15.03.2016 को विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बेदखल करने की धमकी एंव प्रतिवादीगण द्वारा नाजायज कब्जे की रिपोर्ट करने से पैदा होकर निरंतर जारी है।

अतःवाद स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री किया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । पत्रावली विचारार्थ राजस्व लोक अदालत केम्प बानसेन पर रखी गयी जहां पर वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर नायब तहसीलदार भादसोडा ने उपस्थिती दी तथा वादोत्तर प्रस्तुत किया गया कि वादी के साबिक रेकार्ड में आराजी नम्बर 868/10 रकबा 5 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड थी जिसके नवीन भू प्रबन्ध में नये आराजी नम्बर 1159 रकबा 0.33 हैक्टैयर वादी के नाम दर्ज हुयी । जिससे वादी के नाम 0.75 हैक्टैयर भूमि पुराने के मुकाबले कम दर्ज हुई है मौके पर भू अभिलेख निरीक्षक से जांच कराने पर वादी का नवीन आराजी नम्बर 1159 रकबा 0.33 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 1220 रकबा 0.47 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1219 रकबा 0.28 हैक्टैयर पर कब्जा होना अंकित किया है। नवीन आराजी नम्बर 1159 मिलान क्षेत्रफल से साबिक आराजी नम्बर 368/109 एवं नये आराजी नम्ब्र 1220 व 1219 साबिक आराजी नम्बर 887 मी से बने है जबकि वादी का उक्त दोनों आराजी पर कब्जा है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2022.01.03 13:37:55 IST
Reason: SelfAttested

7/1/17
उपखण्ड अधिकारी

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी । बहस के दौरान पैरोकार सरकार तहसीलदार भादसोडा ने भी यह तथ्य स्वीकार किया कि वाद में चाही गई भूमि खसरा नम्बर 1219 एवं 1220 ही पुराने नक्शें अनुसार वादी के खाते थी जिस पर आज भी वादी काबिज है काश्त करता है सेटलमेन्ट के मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी दोनों ही बनाने में त्रृटि की है ।

वाद के समर्थन में वादी की ओर से प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम रेवलियाखुर्द खाता संख्या 170 संवत् 2070–73, मिलान क्षेत्रफल व एवं पैराकार सरकार नायब तहसील भादसोडा द्वारा प्रस्तुत वादोत्तर से वाद के तथ्य प्रमाणित होते है कि विवादित आराजीयात पर वादी का कब्जा है तथा पूर्व में वादी के खातेदारी में 5 बीघा भूमि दर्ज थी किन्तु भू प्रबन्ध के दौरान वादी के खातेदारी में दर्ज साबिक रकबे के मुकाबले 0.73 हैक्टेयर रकबा कम कर दिया गया है तथा बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई तथा वादी के कब्जे वाली भूमि आ0न0 1220, 1219 मूल नम्बर 887 मी से बनाना बताया इसलिए भू प्रबन्ध की त्रृटि दुरूस्ती योग्य होने से वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित मानते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि मौजा रेवलियाखुर्द की साबिक आराजी नम्बर 868/1 रकबा 5 बीघा जो कि वादी के खातेदारी में दर्ज थी में से वर्तमान में वादी के खातेदारी मे दर्ज आराजी नम्बर 1159 रकबा 0.33 हैक्टैयर के साथ साबिक रकबे के मुकाबले कमी रकबे का समायोजन वादी के कब्जे काश्त की बिलानाम आराजी नम्बर 1220 रकबा 0.50 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1219 रकबा 0.28 हैंक्टैयर भूमि इन्द्राज दुरूस्ती से वादी के खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । धारा 188 की दाद साबित नहीं होने से खारीज की जाती है । इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब किया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:07:55 IST
Reason: SelfAttested

3.12.17

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर